न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/2019

अपीलांट

1. भोमाराम पुत्र जेराराम जाति चौधरी, निवासी नरसाणा तहसील व जिला जालौर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. जुजाराम पुत्र वगताजी,
2. गोकलाराम पुत्र जगाजी, जातियान चौधरी, निवासीगण नरसाणा, तहसील व जिला जालौर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सतपाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 अनुपस्थित
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 06-07-2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर पिंडवाडा द्वारा विविध प्रार्थना संख्या 40/2012 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2019 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा मौजा नरसाणा के खातेदारी खसरा नम्बर 401 रकबा 1.94 हैक्टर भूमि आई हुई है। उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि के खसरा संख्या 405 व 406 में से रास्ता अपीलांट की खातेदारी भूमि मं आने जाने हेतु नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है। एंसी स्थिति में नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में वर्णित रास्ते को नये रास्ते के रूप में घोषित किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालौर से जांच करवाई गयी। उक्त जांच में तहसीलदार जालोर ने खसरा संख्या 405, 406 में नया रास्ता दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया। उसके पश्चात् दिनांक 03.07.2015 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया। निर्णय दिनांक 03.07.2015 से क्षुब्ध होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रेस्पोडेन्ट ने हाजा न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। जो अपील संख्या 45/15 है। उसके पश्चात् हाजा न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.03.2018 को रेस्पो0 की अपील आंशिक स्वीकार कर पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्रति प्रेषित की कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251'ए' के आज्ञापक प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण की जांच कर पक्षकारों की सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पुनः सुनवाई पर अधीनस्थ न्यायालय ने लिया एवं रेस्पोडेन्टस् ने जबाब प्रस्तुत किया जिसमें यह कथन किया गया कि अपीलांट के आस पास खेत खसरा नम्बर 401 में आने जाने के लिये कदमी रास्ता ग्राम मुडी के मुख्य मार्ग से उलब्ध है। इस प्रकार अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। शेष रेस्पोडेन्ट को पर्याप्त अवसर देने के बाबजूद भी कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। फलस्वरूप रेस्पोडेन्ट का जवाब बन्द कर दिया। उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 18.07.2019 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 का खारिज कर दिया जिसमें न केवल तथ्यों की अनदेखी की है अपितु विधि के मूलभूत सिद्धांतों की भी भूल की है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 401 जो अपीलांट की खातेदारी भूमि है, उसमें आनें जाने हेतु तथा कृषि उपकरण ले जाने हेतु ट्रेक्टर हेतु मार्ग की आवश्यकता होने पर अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि खसरा संख्या 405 व 406 में से कुल 188 फिट लम्बा मार्ग अपीलांट को दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार जालोर को खसरा संख्या 401, 405, 406 की रिपोर्ट हेतु आदेश पारित किया। तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 25.06.2012 को प्रस्तावित रास्ता दिये जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकर्ड में पश्चिमी माठ से लगता हुआ खसरा नम्बर 406 के पास से खसरा संख्या 401 मे जायेगा तथा खसरा संख्या 405 के खातेदार गोकलाराम पुत्र जगमालाराम चौधरी व खसरा संख्या 401 में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। खसरा संख्या 405 व 406 के माठ के पास पास रास्ता दिया जाना उचित है। उक्त तहसीलदार की रिपोर्ट को नजरदांज करते हुए तथा मात्र रेस्पोडेन्ट के जवाब के आधार पर जो निर्णय दिनांक 13.07.2019 पारित किया है। वह हर सूरत में निरस्त योग्य है। तथा उक्त निर्णय में वर्णित किया है कि खसरा संख्य 401 में जाने के लिए ग्राम मूडी के मुख्य मार्ग से उपलब्ध है वो काल्पनिक निर्णय मे विवेचन किया गया है। तहसीलदार द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता दिया गया था वही मौके के अनुरूप रास्ता दिया जाना उचित था। उस रिपोर्ट को नजरंदाज करते हुए उक्त निर्णय पारित किया है निरस्त किये जाने योग्य है। तथा दिनांक 03.07.2015 को जारी आदेश को यथावत रखा जाने का आदेश फरमावे।

रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित होने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा मौजा नरसाणा के खातेदारी खसरा नम्बर 401 रकबा 1.94 हैक्टर भूमि आई हुई है। उक्त खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि के खसरा संख्या 405 व 406 में से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रास्ता अपीलांट की खातेदारी भूमि मं आने जाने हेतु नजदीक व सुविधाजनक रास्ता चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धाराओं के प्रावधानो को ध्यान में न रखते हुए आनन–फानन में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। कृषक समुदाय के लिए अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए भी रास्ता अति आवश्यक सुविधा है। अतः आवागमन करने पर यह भी प्राकृतिक सुखाचार है। जिसे बाधित नहीं किया जा सकता है। अपितु इसकों और अधिक सुविधाजनक किया जाना चाहिए। (नेचुरल इजमेंट राईट) (natural easement Right)

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर, जालोर द्वारा विविध प्रार्थना संख्या 40/2012 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2015 को यथावत रखा जाता है जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधिनस्थ न्यायालय को लौटायी जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 06-07-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(बृजमोहन नौमिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
06-07-2021